

कार्यालय

जिलाधिकारी

पत्रांक: 1215 / न्याय सहायक / कोरोना गारंस / 2021

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 613/पौंच-5-2021 दिनांक 03 अप्रैल, 2021 के द्वारा कट्टेनमेंट जोन के सरेक्षण हेतु आवासों की संख्या का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 25 मीटर की परिधि में कट्टेनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कट्टेनमेंट जोन का दायरा 50 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संक्रिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कट्टेनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।
- (4) बहुमंजिला भवन में एक कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में भवन के जिस तल पर उस केस का आवास हो, उस तल को कट्टेनमेंट जोन तथा बहुमंजिला भवन में एक से अधिक कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में संबंधित टावर को कट्टेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया जायेगा।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएवस-3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कट्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियों अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियों ही अनुमत्य की जाए।
- (b) कट्टेनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक तस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियन्त्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की राधन निगरानी की जाए।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टैरिट्रिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के समर्पण में आए राष्ट्रीय व्यवितरणों की सूची (कान्फ्रैट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकान, ट्रैसिंग, व्यारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक नियन्त्रण अनुभवण की कार्रवाई की जानी चाहिये (यथा संभव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत रामर्क चिह्नित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन ती शर्त पूर्ण करते हैं तो होम (आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवश्यकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की रात निगरानी रखी जाए।
- (h) आई०एल०आई/एस०ए०आर०आई० के प्रकरण में नियन्त्रण निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौवाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (i) कोविड-19 से संबंधित अनुमत्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को नियन्त्रण जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अग्रिमसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एलआई-ग्रूप/सी अ०/2021 दिनांक 14-04-2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश में कोरोना रांकगण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को नियंत्रण कार्यों समय से ज्योता साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यवितरणों द्वारा मास्क न लगाने व रोशल डिस्ट्रेंसिंग का पालन न किये जाने वाले के कारण रक्काण" जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु वभी भी बस ट्रैकिंग, रखी गई जिमियों, फैलने की सम्भावना बनी रहती है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 254 हॉट स्पॉट चिह्नित कर लिये गये हैं, जिनमें 80 14 फैण्डस कलोनी, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० कृष्णा नगर, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, म००१०-१२५, सुशीला विहार, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, देवीपुरा पट्टा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० साठा, निकट बालाजी मन्दिर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० आदर्श नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० निश्चिकान्त एन्कलेव, नियंत्रण हड्डी पुस्तकालय, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शान्ति नगर भूड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० सूर्योनगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मानसरोवर कालीगी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गैंतालाली, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गैंतालाली, नगरीय

नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम भॉदवा, वि०ख० व तहसील खुर्जा, शिल्पा गार्डन के पास, मुरारी नगर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ० नवलपुर, ककड़ाला नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम बोरोली, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम सठला, वि०ख० बी०बी०नगर, तहसील स्याना, ग्राम महाआखेड़ा, वि०ख० ऊँचा गाँव, तहसील स्याना, ग्राम पाली आनन्दगढ़ी, वि०ख० ऊँचा गाँव, तहसील रयाना, नई धड़ी पाण्डी (पुखा बाजार) कस्बा जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम नगला इलाहाबाद, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम नगला बंधी, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बुटेना, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम जैतपुर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम महताबनगर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बुलन्दशहर, ग्राम राशिदपुर, वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अटेना, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, डी-109, यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ग्राम गिरधरपुर नवादा, वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अटेना, वि०ख० अरनियां, तहसील खुर्जा, आर्शवाद भवन, हास्पिटल रोड, निकट जेवर अड्डा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौहल्लाकाजी खेल, नगरीय क्षेत्र पहासू, तहसील शिकारपुर, मौ० डोरी नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ० टीचर्स कालोनी, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ० लोधी नगर, नगरीय क्षेत्र पहासू, तहसील शिकारपुर, मौ० जाटवान, कस्बा बी०बी०नगर, तहसील स्याना, मौ० पट्टी जुलासराय, क स्बा व तहसील स्याना, ग्राम अहमदापुर, वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नवीनगर, वि०ख० जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम डबकौरा, वि०ख० जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, मौ० मोरीगेट, कस्बा व तहसील अनूपशहर, मौ० मदनभट्ट, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ० ज्ञानलोक कालोनी, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम धनौरा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बंदावली, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम रामनगर, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, रामसिंह का बाड़ा, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम सौंदा हर्दीबपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम खखूड़ा, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम नगला बरौला, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मदरसा शिकारपुर, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम खण्डवाया, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम रानीवाला, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम औचरुकला, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम जलालपुर करीरा, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम नगला सारंगपुर, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम सुरजावली, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम सुरजावली, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम अहमदगढ़, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम अहमदगढ़, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बगसरा, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ० गायत्री नगर, कस्बा जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, अनूपशहर अड्डा मछली वाली गली, कस्बा जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम टिटोटा उर्फ वीरगांव, वि०ख० जहांगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम खुशालगढ़, वि०ख० जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, मौ०पवित्र पुरी कस्बा व तहसील अनूपशहर, ग्राम दौलतगढ़ वि०ख० तहसील बुलन्दशहर, ग्राम जालखेड़ा वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अलावा रहीमपुर वि०ख० लाखवटी, तहसील बुलन्दशहर, मौ०दकौली वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, मौ०पट्टी हरनाम सिंह कस्बा व तहसील स्याना, अम्बेडकर गली कस्बा व तहसील स्याना, चौहान कालोनी कस्बा व तहसील स्याना, टीचर्स कॉलोनी कस्बा व तहसील स्याना, ग्राम घंसूरपुर वि०ख० व तहसील स्याना, मौ०शिवपुरी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मकान नं० 419 मदार दरबाजा नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मकान नं० 439 फूटा दरबाजा नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ० भूडवाला कस्बा बुगरासी तहसील स्याना, ग्राम जाडौल वि०ख० जहांगीराबाद तहसील स्याना, कांशीराम आवास वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ०सराय किशनचन्द नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ०मण्डी हरदेव नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ० सराय बैरुनी नगरीय क्षेत्र डिबाई, बिहार घाट आश्रम वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम करीरी वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम चैहला वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम रतनपुर वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम इच्छावरी वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 14-04-2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-6898 है, 2794 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है। जनपद में 95 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचें तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,

बुलन्दशहर।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,

बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

दिनांक- १५.०४.२०२१

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टेण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लागाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

प्रधारी निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर